तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या : 39/2016 ओमाराम वगैरह बनाम सुरेश वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-10-25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर से प्राप्त पत्रावली का सरबरक मूल पत्रालवी के साथ संलग्न किया जाता है। वादीगण द्वारा एक वाद खेत खसरा नंबर 46 रकबा 95 बीघा ग्राम नंदवान तहसील लूणी की भूमि के खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया हैं। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.06.2025 के द्वारा खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई। पत्रावली पुनः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशिका दिनांक 08.09.2025 की पालना में राजीनामा हेतु न्यायालय में प्राप्त हुई जिस पर दोनो पक्षकारान् के अधिवक्तागण पत्रावली में आवश्यक सुनवाई हेतु सुचित किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी का पेश कर कथन किया गया कि वादीगण का वाद जरिये विड्रॉ खारिज फरमाया जावे एवं उक्त वाद में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2025 को खारिज/अपास्त की जाकर उक्त निर्णय की पालना में पारित म्यूटेशन निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। राजीनामा प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों की तस्दीक में वादीगण संख्या 1 ओमाराम की ओर से अधिवक्ता वादी श्री ईश्वरसिंह तथा प्रतिवादी की ओर से श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई, तथा वादी संख्या 2 की ओर से खास मुख्तयारनामा निष्पादित दिनांक 05.07.2025 की छायाप्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली किया गया अतः पक्षकारान् के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशिका दिनांक 08.09.2025 की पालना में प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विड्रो करने से खारिज किया जाता है तथा वाद में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2025 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2025 की पालना में दर्ज म्यूटेशन को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पत्रावली मे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार आर ए एस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	